

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), ऊधम सिंह नगर

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-269 सन् 2022

उत्तराखण्ड राज्य.....प्रति.....राकेश

धारा-8/22 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985

एफ0आई0आर0 संख्या-374 सन् 2019, थाना-रुद्रपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर

दिनांक 05.04.2025

पुकारा लगाया गया। अभियुक्त राकेश अनुपस्थित।

कोतवाली रुद्रपुर द्वारा अभियुक्त राकेश की मृत्यु आख्या कागज संख्या 29ख/1 प्रस्तुत। कोतवाली रुद्रपुर की आख्या के अनुसार अभियुक्त राकेश पुत्र डालचंद की मृत्यु दिनांक 13.02.2025 को हो चुकी है। आख्या के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 30ख/1 संलग्न है। जिससे यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियुक्त राकेश पुत्र डालचंद की मृत्यु दिनांक 13.02.2025 को हो चुकी है।

अतः अभियुक्त राकेश पुत्र डालचंद की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित किया जाता है। इस प्रकरण में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। तदनुसार अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण इस प्रकरण की कार्यवाही उपशमित होती है।

पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
ऊधम सिंह नगर।